भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 87वां स्थापना दिवस व पुरस्कार समारोह तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों का राष्ट्रीय सम्मेलन

26 जुलाई, 2015, पटना

माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह का भाषण

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार की कैबिनेट ने 3900 करोड रूपये की स्वीकृति कृषि विज्ञान केन्द्रों को संचालित करने हेतु दी है। वर्तमान में देश में 642 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 55, गैर सरकारी संस्थानों के अंतर्गत 99, कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन 435, व शेष अन्य संस्थानों के अधीन हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 55 कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जबकि प्रशासनिक नियंत्रण की जिम्मेदारी संबंधित संस्थानों की होती है एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सीधी भूमिका नहीं होती है। ऐसे में कुछ केन्द्रों में विसंगतियां देखने को मिली हैं। जिनको दूर करने के लिए नयी पहल की जा रही है। ये केन्द्र जिला स्तर पर कृषि संबंधी विभागों के साथ मिलकर विभिन्न कृषि कार्यक्रमों व योजनाओं को लागू करने में तकनीकी समर्थन और सामयिक जानकारी उपलब्ध कराने के प्रमुख स्रोत हैं। जिला स्तर पर राज्यों के कृषि तथा संबंधित विभागों के प्रसार कार्यकर्ताओं की विशाल संख्या इन केन्द्रों से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर बड़े पैमाने पर नई तकनीकी को खेतों तक पहुंचाने में सफल हो रही है। इस प्रकार लैब टु लैंड विचारधारा को जमीनी स्तर पर लागू करना संभव हो रहा है। अनुसंधान–कृषि प्रसार–किसान संवाद को मजबूत करने के लिए इन केन्द्रों द्वारा किसान मेला, किसान गोष्ठी, खेत दिवस आदि संपर्क कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं। KVK अग्रिम पंक्ति प्रसार (Frontline Extension) के द्वारा तकनीकी ज्ञान देता है जबकि फील्ड एक्सटेंशन जिले के राज्य सरकार के कृषि कर्मियों द्वारा किया जाता है।

कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के सशक्तिकरण के लिए गत एक वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :

- 45 नये जिलों व 64 बड़े जिलों में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की स्वीकृति की गई है। बिहार के छः बड़े जिलों में अतिरिक्त एक कृषि विज्ञान केन्द्र (पूर्वी चंपारण,

मधुबनी, मुजफफरपुर, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर एवं गया) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- कृषि विज्ञान केन्द्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ (SMS) के पद को वैज्ञानिक के रूप में परिवर्तित करके स्टाफ को उपयुक्त सम्मान दिया गया है।
- कार्यक्रम समन्वयक के पद को Head, KVK के रूप में करके जिले में KVK मुखिया की भूमिका मजबूत करने का प्रयास किया गया है।
- KVK की दृश्यता (visibility) बढ़े इसके लिए Pre खरीफ एवं रबी किसान सम्मेलन हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- कृषि मंत्रालय से दलहन के कार्यक्रम 300 जनपदों में व तिलहन पर कार्यक्रम 200 जनपदों में चलाने हेतु आगामी रबी हेतु अतिरिक्त धन उपलब्ध करायी जायेगी।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों में वैज्ञानिकों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 की जायेगी जिसमें मृदा व जल, एग्रीबिजनेस, पशुपालन, मत्स्य पालन, प्रसंस्करण विषयों के वैज्ञानिक एवं दो तकनीशियन के पद सृजित किये गये हैं। इस प्रकार कृषि विज्ञान केन्द्र में पदों की संख्या 16 से बढ़कर 22 हो जायेगी।
- 3 नये क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय (ZPD) जिनका परिवर्तित नाम कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संस्थान (Agril. Technology Application Research Institute) होगा, को सृजित कराकर उनकी संख्या 8 से 11 किया गया है जिससे कृषि विज्ञान केन्द्रों की मानिटरिंग अच्छी हो। पटना, पुणे व गुवाहाटी में नये संस्थान स्थापित होंगे।
- मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमने इनके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्रों को अधिक मजबूती प्रदान करने और इनमें मौजूद विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से नई सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। केन्द्रों को अधिक किसान उपयोगी और आधुनिक बनाने के लिए इनमें मिट्टी एवं पानी की जांच सुविधा, एकीकृत कृषि प्रणाली, आईटी का उपयोग, उन्नत बीज उत्पादन व प्रसंस्करण, जल संचय और सूक्ष्म सिंचाई तथा सौर उर्जा के उपयोग जैसी इकाइयां शामिल करने की सिफारिश की गई है।
- नई स्थानांतरण नीति (Transfer Policy), प्रोन्नति नीति (Promotion Policy), चयन प्रक्रिया नीति बनायी गई है, जिससे गुणवत्ता युक्त वैज्ञानिक का चयन किये जा सके। नियमित प्रति वर्ष KVK के Performance का आकलन होगा तथा जो केन्द्र खराब कार्य कर रहे हैं उनको संचालित करने वाली संस्था को बदलेंगे। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा। यदि जरूरत हो तो जो संस्थान नहीं पालन कर रहे हैं उनके साथ दूसरा नया MoU किया जायेगा, जिससे जो शर्तें भारत सरकार की हैं वे मान्य हों।

प्रधानमंत्री जी द्वारा Lab to Land, पानी, मिट्टी, उत्पादकता, लाभ, प्रसंस्करण पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसके लिये नये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किये गये हैं। इनमें फार्मर फर्स्ट, आर्या (Attracting and Retaining Youth in Agriculture), स्टुडेन्ट रेडी, मेरा गांव मेरा गौरव का नाम लेना चाहूंगा।

यही नहीं देश में खाद्य आत्मनिर्भरता को बनाए रखने तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से विजन 2050 दस्तावेज भी तैयार किया गया है।